नारियल विकास बोर्ड (नाविबो) के साथ नारियल उत्पादक कंपनियों (सीपीसी) का पंजीकरण

नारियल विकास बोर्ड नारियल उद्योग के विकास के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत नारियल उत्पादक कंपनियों (सीपीसी) को निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के आधार पर पंजीकरण प्रदान करेगा।

1. उत्पादक कंपनी के रूप में कंपनी रजिस्ट्रार के साथ वैध पंजीकरण।
2. कंपनी की प्राधिकृत पूंजी **20** लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए।
3. कंपनी की प्रदत्त पूंजी **10** लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए।
4. व्यक्तिगत शेयरधारकों की संख्या **250** से कम नहीं होनी चाहिए या शेयरधारक सीपीएसों की संख्या 100 से कम नहीं होना चाहिए या शेयरधारक सीपीएफों की संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए।
5. कंपनी को नारियल से संबंधित राजस्व उत्पन्न करनेवाली व्यवसाय योजना होनी चाहिए।

पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र-1 में होगा, जो इसके साथ संलग्न है। विधिवत् भरे हुए आवेदन के साथ अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड, के नाम पर एरणाकुलम में देय 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न किया जाय। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें:

1. संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि
2. संगम अनुच्छेद की प्रतिलिपि,
3. निगमन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
4. प्रदत्त पूंजी के प्रमाण संबंधी दस्तावेज़
5. पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों का लेखापरीक्षित विवरण

नाविबो, आवेदन प्राप्त होने पर उसमें दिए गए ब्यौरे का सत्यापन करेगा और यदि पंजीकरण प्रदान करने हेतु सभी आवश्यकताओं का पालन करने में संतुष्ट हो तो पंजीकरण किया जा सकता है।

यदि नाविबो को लगता है कि आवेदक पंजीकरण प्रदान करने के लिए पात्र नहीं है तो नाविबो लिखित आदेश द्वारा उस आदेश में निर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों के लिए पंजीकरण देने से इनकार कर सकता है और भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

पंजीकरण पंजीकरण तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

पंजीकरण के नवीकरण के लिए इच्छुक सीपीसी को नाविबो के साथ अपने पंजीकरण की समाप्ति की तारीख को या उससे पहले अध्यक्ष, नाविबो के नाम पर एरणाकुलम में देय 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सहित प्रपत्र -2 में आवेदन करना होगा।

यदि सीपीसी पंजीकरण के किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहती है तो नाविबो पंजीकरण का नवीकरण करने से इनकार कर सकता है।

नाविबो को यदि ऐसा लगता है कि सीपीसी पंजीकरण के किसी भी नियम एवं शर्तों का पालन करने में विफल हुईहै तो लिखित रूप में उसके कारण बताते हुए आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए जैसा वह उचित समझे, पंजीकरण को निलंबित/रद्द किया जा सकता है।

नाविबो को भारत में किसी भी कानून के अधीन अपराध के लिए सक्षम अदालत द्वारा सीपीसी को दोषी ठहराए जाने की स्थिति में किसी भी सीपीसी को दिए गए पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार है।

प्रपत्र -1
नारियल उत्पादक कंपनी के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

1. उत्पादक कंपनी का ब्यौरा

क्र. सं.	निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें	ब्यौरे
1	कंपनी का नाम	
2	पत्राचार का पता	
	संपर्क व्यक्ति का पता व दूरभाष	
3	पंजीकरण संख्या	
4	कंपनी के पंजीकरण/निगमन की तारीख	
5	शेयरधारक सदस्यों की संख्या	
6	शेयरधारक संस्थागत सदस्यों की संख्या (सीपीएस/सीपीएफ)	
7	शेयरधारक सदस्यों के अपने नारियल पेड़ों की कुल संख्या	
8	संस्थागत सदस्यों की अधिकतम शेयरधारिता	
9	व्यक्तिगत शेयरधारक की अधिकतम शेयरधारिता	
10	कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रुपए में)	
11	कंपनी की प्रदत्त पूंजी (रुपए में)	
12	बैंक का नाम जिसमें कंपनी का खाता है	
13	शाखा का नाम तथा आईएफएस कोड	
14	खाता संख्या	
15	निदेशकों की संख्या	
16	बोर्ड गठन की प्रणाली (चुनाव/नामांकन)	
17	महिला निदेशकों की संख्या	
18	पिछली वित्तीय वर्ष में संपन्न बोर्ड बैठकों की तारीख	
19	निदेशक मंडल की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	
20	कंपनी की व्यापार योजना (प्रतिलिपि संलग्न करनी है)	

2. निदेशक मंडल के ब्यौरे

क्र. सं.	निदेशक मंडल के सदस्यों का नाम एवं लिंग	कंपनी में पदनाम/ भूमिका	डीआईएन संख्या	योग्यता	अवधि (वर्षों में)	संपर्क पता	कुल खेतीगत क्षेत्र हे.में	नारियल के अधीन क्षेत्र एवं फलदायी पेडों की संख्या
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								

3. कंपनी के सदस्यों की शेयरधारिता के ब्यौरे

क्र. सं.	शेयरधारकों/शेयरधारक संस्थाओं का नाम	क्षेत्र एवं फलदायी नारियल ताड़ों की संख्या	सीपीएस तथा सीपीएफ का नाम जिसमें सदस्यता ली गई थी	आबंटित शेयरों की संख्या एवं अंकित मूल्य	भुगतान की गई कुल राशि (रुपए में)

शपथपत्र

मैं एतद्द्वारा बयान देता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ों में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। मैं एतद्द्वारा वचन भी देता हूँ कि मैं कंपनी के सुचारू संचालन के लिए समय समय पर नारियल विकास बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का पालन करूँगा।

स्थान:

दिनांक: सीईओ का नाम एवं हस्ताक्षर

सीपीसी के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज़

1. संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि
2. संगम अनुच्छेद की प्रतिलिपि
3. निगमन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
4. व्यवसाय प्रारंभ का प्रमाणपत्र
5. प्रदत्त पूंजी के प्रमाण संबंधी दस्तावेज़
6. राजस्व उत्पन्न करनेवाली व्यवसाय योजना(योजनाओं) की प्रतिलिपि
7. पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण
8. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड के नाम पर एरणाकुलम में देय 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट

प्रपत्र-2

नारियल उत्पादक कंपनी के पंजाकरण के नवीकरण हेतु

आवंदन प्रपत्र

1. उत्पादक कंपनी के ब्यौरे

क्र.सं.	निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें	ब्यौरे
1	कंपनी का नाम	
2	पत्राचार पता, दूरभाष सहित	
	संपर्क व्यक्ति का पता, दूरभाष सहित	
3	पंजीकरण संख्या	
4	कंपनी के पंजीकरण/निगमन की तारीख	
5	शेयरधारक सदस्यों की संख्या	
6	शेयरधारक संस्थागत सदस्यों की संख्या (सीपीएस/सीपीएफ)	
7	शेयरधारक सदस्यों के अपने नारियल पेड़ों की कुल संख्या	
8	संस्थागत सदस्यों की अधिकतम शेयरधारिता	
9	व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य की अधिकतम शेयरधारिता	
10	कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रुपए में)	
11	कंपनी की प्रदत्त पूंजी (रुपए में)	
12	बैंक का नाम जिसमें कंपनी का खाता है	
13	शाखा का नाम तथा आईएफएस कोड	
14	खाता संख्या	
15	निदेशकों की संख्या	
16	बोर्ड गठन की प्रणाली (चुनाव/नामांकन)	
17	महिला निदेशकों की संख्या	
18	पिछली वित्तीय वर्ष में संपन्न बोर्ड बैठकों की तारीख	
19	निदेशक मंडल की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	
20	कंपनी की व्यापार योजना (प्रतिलिपि संलग्न करनी है)	

2. **निदेशक मंडल के ब्यौरे**

क्र. सं.	निदेशक मंडल के सदस्यों का नाम एवं लिंग	कंपनी में पदनाम/ भूमिका	डीआईएन संख्या	योग्यता	अवधि (वर्षों में)	संपर्क पता	कुल खेतीगत क्षेत्र हे.में	नारियल के अधीन क्षेत्र एवं फलदायी पेडों की संख्या
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								

3. कंपनी के सदस्यों की शेयरधारिता के ब्यौरे

क्र. सं.	शेयरधारकों/शेयरधारक संस्थाओं का नाम	क्षेत्र एवं फलदायी नारियल ताड़ों की संख्या	सीपीएस तथा सीपीएफ का नाम जिसमें सदस्यता ली गई थी	आबंटित शेयरों की संख्या एवं अंकित मूल्य	भुगतान की गई कुल राशि (रुपए में)

शपथपत्र

मैं एतद्द्वारा बयान देता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ों में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। मैं एतद्द्वारा वचन भी देता हूँ कि मैं कंपनी के सुचारू संचालन के लिए समय समय पर नारियल विकास बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का पालन करूँगा।

स्थान:

दिनांक: सीईओ का नाम एवं हस्ताक्षर

सीपीसी के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज़

1. संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि
2. संगम अनुच्छेद की प्रतिलिपि
3. निगमन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
4. व्यवसाय प्रारंभ का प्रमाणपत्र
5. प्रदत्त पूंजी के प्रमाण संबंधी दस्तावेज़
6. राजस्व उत्पन्न करनेवाली व्यवसाय योजना(योजनाओं) की प्रतिलिपि
7. पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण
8. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड के नाम पर एरणाकुलम में देय 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट